

दाखल ता 4 MAR 2016
सहाय्यक अधीक्षक
लोहमार्ग न्यायालय, दौंड

शिकायत पत्र

500 844
98

मा. न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग लोहमार्ग न्यायालय दौंड की सेवा में सविनय सादर

- 01 आर.पी.एफ थाना :- सोलापूर
02 अपराध क्र :- 142/2016
03 धारा :- 155 रेल अधिनियम
04 घटना का दिनांक एवं समय :- दि. 4.3.16 को समय बजे
05 घटनास्थल :- शे.ल.पु.वे.वे. 57133
06 फरियादी का नाम एवं पता :- आ/प्र.आ. 1.3.16 RPF थाना सोलापूर
07 सलिप्त व्यक्ती का नाम व पता :- गो.उ.पु.वे.वे. 57133
रा. 57133
08 जप्त मुद्देमाल का विवरण :-
09 मा. न्यायालय में हाजिर रहने की :- दि. 4.3.16 को समय 11-00 बजे
10 जांच अधिकारी :- R. M. भा.वे.वे.वे. ASI/SIPF/थाना सोलापूर
11 घटना का साक्षिप्त विवरण :- मा. न्यायालय की सीमा एवं रेलवे सुरक्षा बल थाना सोलापूर
के कार्यक्षेत्र में दिनांक 4.3.16 को कॉलम न. 07 के व्यक्ती द्वारा कॉलम न. 04 के
घटनास्थल पर अनाधिकृत रूपसे शे.ल.पु.वे.वे. 57133 के
लिफ्ट.वे. कोच में खाली करके रखे

रेल अधिनियम की धारा 155 का उल्लंघन किया है कारणवश उक्त व्यक्ती को रेल
अधिनियम के तहत "नोटिस" जारी कर उचित कानूनी कार्यवाही होने हेतु मा. न्यायालय के
समक्ष उक्त मामले का विचारण हेतु पेश किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनती है की, उक्त व्यक्ती के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही
करने की कृपा करके उक्त व्यक्ती के पास से जप्तशुदा माल के निपटारा हेतु आदेश जारी करने
की कृपा करें।

ने.हु.को.जा.व्हावे

सलिप्त व्यक्ती के हस्ताक्षर D I # 00 L I

दंड जमा 500/-
पावती क्र 0316251

सह. अधीक्षक,
लोहमार्ग न्यायालय दौंड

मला गन्हा कबूल नाह.

DT Hooli

समक्ष



प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी

लोहमार्ग, दौंड,

4 MAR 2016

जुडिशियल प्रोसीजर कोड सेट १९७३ च्या अनुच्छेद २२३(१) अन्वये.

न्याय. - ०.१. The contents of Plea read as follows
as explained in vernacular in which he
understood and voluntarily pleaded guilty for
the Commission of Offence P/U/S ...

Hence he is convicted and Sentenced

to Pay a Fine of Rs. - 500/- (L.R.)

for - 4 days



Judicial Magistrate
J.M.F.C. (Rly.) Daund.

4 MAR 2016